FORM NO.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत :– जिला कलेक्टर पाली

अपीलांटः– बनाम रेस्पोडेन्ट :–

श्री कमल किशोर जैन, निवासी 28, खोड का बास, पाली (राज.)

लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली जिला पाली

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 01 / 2019
R.C.M.S. No. --2019/00069
अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24/4/19	अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (अति. जिला कलक्टर) पाली द्वारा अपीलाण्ट का मूल आवेदन व मूल पोस्टल ऑर्डर इस आशय से पुनः लौटा दिया की पोस्टल ऑर्डर अवधिपार है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपीलाण्ट व रेस्पोडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु जरिये नोटिस तलब होकर पत्रावली दिनांक 3/5/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	499-500 25/4/19
3/5/19	रेस्पो. की ओर से लिपिक उप०। सम्बन्धित लिपिक को भारतीय डाकविभाग के पत्र की प्रति जिसमें पोस्टल आर्डर को जारी करने की दिनाँक एवं वापसी मांगी है। एवं पोस्टल आर्डर दिया जाकर प्राप्ती रसीद ली एवं 7 दिवसो में सूचना उपलब्ध कराने हेतु हिदायत की गयी। पत्रावली आगामी दिनाँक 10/5/19 को पेश हो। जिला कलेक्टर, पाली	श्री [illegible]
10/5/19	रेस्पो. की ओर से इस न्यायालय को जवाब प्रेषित किया गया जिसके अनुसार अपीलांट को सूचना प्रदाय की जा चुकी है। सूचना पत्रांक रा. लो. सू० अ०/98/2019/995 दि० 3-5-2019 के द्वारा प्रेषित का प्रति इस न्यायालय को पत्रावली में शामिल की गई है जिसे शामिल पत्रावली किया गया। वर्तमान में अपी० को सूचना उपलब्ध करादी गई है इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अपील प्रभावशून्य हो जाने से खारिज की जाती है। पत्रावली बाद फैसला की जाकर इस न्यायालय से नम्बर से कम हो। जिला कलेक्टर पाली (राज.)	